

# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 47/019

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:—प्रार्थी

बनाम

- 1 हरगिलास पुत्र लोहडे
- 2 बाबू पुत्र लोहडे
- 3 भूपेन्द्र पुत्र बदन
- 4 रामवीर पुत्र बदन
- 5 रूपन्ता वेवा बदन
- 6 कम्पूरी वेवा लोहडे
- 7 देशराज पुत्र मिल्की
- 8 भौरया पुत्र मानसिंह
- 9 श्यौचंद पुत्र मानसिंह
- 10 भीमा पुत्र मानसिंह
- 11 राजबाई पुत्री मानसिंह
- 12 अतरसिंह पुत्र कलुआ

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान मुडिया  
तहसील टोडाभीम जिला करौली

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 07.08.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 579/2572 रकवा 0.03 है0.ग्राम मुडिया तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 400 मि. रकवा 2 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नली के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2037 से 40 यह भूमि मानसिंह पुत्र हजारी गुर्जर के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 400 मि. का नवीन खसरा नम्बर 579/2572 रकवा 0.03 है0.बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले

रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 579/2572 रकवा 0.03 है0.वाके ग्राम मुडिया को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नली को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान का तामिल विधिवत होने पर नियत दिवस को ना तो स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही इस प्लीडर उपस्थित आया। कोई जबाव पेश नही किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2000 से 2015,2034 से 37,2072 से 75 ,मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमाबंदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 518मि. रकवा 4 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नाली के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2034 से 37 मे नामान्तकरण संख्या 874 से परिवर्तन होकर अप्रार्थीयान के नाम आराजी खसरा नम्बर 579/2572 रकवा 0.03 है0. खातेदारी स्वीकृत हुयी थी बारानी ए हाल जमाबंदी सम्बत 2071 से 74 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व